

भूमि अर्जन प्रारूप - 7		
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट		
भूमि अर्जन वाद संख्या- आठ-05 (2015-16)		
1	परियोजना का नाम	126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन परियोजना।
2	घोषणा संख्या एवं तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया गया हो।	778 / XVIII(3) / 2017-02(61) / 2017 देहरादून 09 नवम्बर 2017
2	भूमि की अवस्थिति	
(i)	ग्राम	पुराना श्रीनगर
(ii)	परगना	देवलगढ़
(iii)	तहसील	श्रीनगर
(iv)	जिला	गढ़वाल
3	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.395 है०
4	अर्जक निकाय का नाम	रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश
5	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की हकदारियां	
(i)	आवंटित किये जाने वाले आवास / भवन के बदले एक मुस्त रकम	900000
(ii)	आवंटित किये जाने वाली भूमि	-
(iii)	विकसित भूमि के लिये प्रस्थापना	-
(iv)	प्रभावित कुटुम्बों के लिये वार्षिकी / नियोजन का विकल्प	6500000
(v)	जीवन निर्वाह अनुदान (एक वर्ष के लिये) 3000x12=36000	216000
(vi)	विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन व्यय एक बारगी (रू० 50 हजार)	300000
(vii)	पशुशाला / मोटी दुकान / छोटी दुकान	-
(viii)	शिल्पी छोटे व्यापारी और अन्य को एक मुस्त अनुदान	-
(ix)	मत्स्य पालन अधिकार	-
(x)	विस्थापित कुटुम्बों के लिये पुनर्वासन भत्ता एक बारगी (रू० 50 हजार)	300000
(xi)	स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस	-
6	जिस तारीख को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां
7	परिकलन का आधार	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना
8	वृक्ष, आवास या किसी अन्य अचल सम्पत्ती के लिये स्वीकृत रकम	धारा 23 के अधीन देय
9	फसलों के लिये स्वीकृत रकम	-
10	धारा-30 (3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर	धारा 23 के अधीन देय
11	2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसान	-
12	धारा 30 (1) के अधीन मुआवजा	-
13	कुल रकमें	8216000

जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील पौड़ी के ग्राम पुराना श्रीनगर, परगना-देवलगढ़ में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत भू-अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-23 के अधीन दिनांक 27 अप्रैल 2018 को अधिनिर्णय पारित किया गया। पारित अधिनिर्णय में अधिनियम, 2013 की धारा-33 के अनुसार अधिनिर्णयों में लिपिकीय, गणित सम्बन्धी भूलों से हुई त्रुटियों में आंशिक संशोधन पश्चात संशोधित अधिनिर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को पारित किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के उपबंध के अतिरिक्त सभी प्रभावित कुटुंबों (भू-स्वामियों और ऐसे कुटुंबों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है, दोनों) के लिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप राहत राशि देय है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-3 (ड) में परिभाषित कुटुंबों के सम्बन्ध में शासन से दिशा निर्देश मांगे गये थे। शासन द्वारा न्याय विभाग से विधिक राय लिया जाना वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया गया जिस पर अभी तक न्याय विभाग से राय अप्राप्त है। दिनांक 30 जनवरी 2019 को आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में पहली अनुसूची से प्रभावित कुटुम्ब को आधार मानते हुये पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के अधीन राहत राशि तथा एक मुस्त नियोजन के विकल्प को दिये जाने के निर्देश दिये गये।

विस्थापित परिवारों को भूमि के आवंटन के लिये चमाल्यू गूठ में भूमि का चयन किया गया था जिसमें किसी भी विस्थापित कुटुम्ब द्वारा भूमि का विकल्प ग्रहण नहीं किया गया फलस्वरूप आवास एवं भूमि के आवंटन के बजाय एक मुस्त धनराशि रू० 1.50 लाख देय है। ग्राम पुराना श्रीनगर के 6 विस्थापित कुटुम्बों को अनुसूची-2 के अनुसार बिन्दु 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, के अधीन लाभ तथा 7 प्रभावित कुटुम्बों को अनुसूची 2 के बिन्दु 4 के अनुसार नियोजन के विकल्प के अधीन धनराशि देय है।

अतः आज दिनांक 25 फरवरी 2019 को जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, परगना-देवलगढ़ में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के फलस्वरूप प्रभावित कुटुम्बों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय अनुसूची के अनुसरण में रू० 7916000 (उन्चासी लाख सोलह हजार मात्र) का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय घोषित करता हूँ।

दिनांक 25 फरवरी 2019


(धीराज सिंह गर्ब्याल)
कलक्टर,
गढ़वाल।

ग्राम पुराना श्रीनगर के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन इकाई की अवयव

क्र० सं०	खतीनी सं०	नाम कारकार मय बन्धियत	विस्थापन की दशा में		भूमि के बदले भूमि	विकसित भूमि के लिये प्रस्थापन	वार्षिक/नियोजन का विकल्प			विस्थापित कुटुम्बों के लिये जीवन निर्वाह अनुदान 1 वर्ष के लिये	एक बार दिया जाने वाला अनुदान					शुल्क	रशि रद्देशन की	भांडिक मूल्य
			इन्दिरा आवास योजना के अनुसार एक निम्न	मकान के समतुल्य खर्च			नियोजन का विकल्प	5.00 लाख प्रति प्रभावित कुटुम्ब	20 वर्ष तक 2 हजार प्रति माह		3 हजार प्रतिमाह	विस्थापित कुटुम्बों के लिये परिवहन खर्च	पशु बाड़ा छोटी दुकान, खर्च	कारिगर छोटे व्यापारियों को अनुदान	मछली पकड़ने का अधिकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	82	सदीप पुत्र राजेन्द्रप्रसाद	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
2	82	सुशान्त पुत्र राजेन्द्रप्रसाद	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
3	82	मदनमोहन पुत्र रामप्रसाद	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
4	82	ओमप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
5	82	रामजय पुत्र कृपालसिंह	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
6	82	धनजय पुत्र कृपालसिंह	x	150000	x	x	0	500000	x	36000	50000	0	0	x	50000	0	0	786000
7	82	निर्मला देवी पत्नी ललिता प्रसाद	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
8	82	ओमप्रकाश पुत्र रघुनन्दन	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
9	82	नवल किशोर पुत्र नारायण प्रसाद	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
10	82	पुनीत मित्तल पुत्र भारतभूषण	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
11	82	रविता मित्तल पत्नी भारतभूषण	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
12	82	राजन मित्तल पुत्र भारतभूषण	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
13	82	जौमती देवी पत्नी बालकृष्ण	x	x	x	x	0	500000	x	0	0	0	0	x	0	0	0	500000
कुल योग			0	900000	0	0	0	6500000	0	216000	300000	0	0	0	300000	0	0	8216000

तैयारकर्ता
(कुलदीप शैलजा)
प्रवर सहायक
का10-वि0मू0अ0अ0,पौडी।

जांचकर्ता
(राजमोहन चमोली)
भूमि अर्जन निरीक्षक
का10-वि0मू0अ0अ0,पौडी।

(रामजी शरण शर्मा)
अपर जिलाधिकारी,
गढ़मंस।

(धीरज सिंह गार्गी)
कलेक्टर
गढ़वाल।